राजस्थान सरकार

कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम– मूण्डला, पो.– रूपवास, तहसील– जमवारामगढ़, जिला– जयपुर, राजस्थान– 302027
Email ID - secretaryapj@gmail.com Govt. Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक: एफ3(2)अपीज / FELLO. ADV. / 2025–26 / 618 दिनांक: 13.01.2026

01. श्रीमान कुलगुरू महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
02. श्रीमान कुलगुरू महोदय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
03. श्रीमान कुलगुरू महोदय, गोविन्द गुरू, आदीवासी विश्वविद्यालय, कलेक्ट्रेट चौराहा, सुभाष नगर, बांसवाडा।
04. श्रीमान कुलगुरू महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, रेजीडेन्सी रोड., जोधपुर।
05. श्रीमान कुलगुरू महोदय, बी.एम.बी. विश्वविद्यालय, रातानाडा रोड., जोधपुर।
06. श्रीमान कुलगुरू महोदय, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, एन.एच.15, जैसलमेंर रोड, बीकानेर।
07. श्रीमान कुलगुरू महोदय, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, चक सकितरा, कुम्हेर, भरतपुर।
08. श्रीमान कुलगुरू महोदय, महर्षि दयानंद सरस्वति विश्वविद्यालय, पुष्कर बाईपास, अजमेर।
09. श्रीमान कुलगुरू महोदय, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. श्रीमान कुलगुरू महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एनएच–65, नागौर रोड़, मण्डोर, जोधपुर।
11. श्रीमान कुलगुरू महोदय, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, नवलगढ रोड़, कटराथल, सीकर।
12. श्रीमान कुलगुरू महोदय, राज ऋषि मतस्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय केम्पस, अलवर।
13. श्रीमान कुलगुरू महोदय, कोटा विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा।
14. श्रीमान कुलगुरू महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़, कोटा।
15. श्रीमान कुलगुरू महोदय, विश्वकर्मा स्कील विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– वर्ष 2025 हेतु अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृति योजना एवं अम्बेडकर फैलोशिप योजना के विज्ञापन को विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अम्बेडकर पीठ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मूण्डला जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान पी.एचडी शोधार्थियों हेतु 2 योजनाऐं संचालित की जा रही है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

	अम्बेडकर फैलोशिप योजना 2025–26	**अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृति योजना 2025–26**
पात्रता	01. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो। 02. परिवार के समस्त स्त्रोतो से आय 2.5 लाख से अधिक न हो।	01. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो। 02. परिवार के समस्त स्त्रोतो से आय 6.00 लाख से अधिक न हो।

Signature valid
Digitally signed by Suman Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.01.13 1?:26:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19903057
eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner

	03. स्नातकोत्तर (Post greaduate) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो। 04. विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी. एचडी पाठयक्रम में छः विषयो (राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, मानव शास्त्र) में प्रवेशित हो। 05. आवेदक की आयु विज्ञापन जारी करने की तिथि को 35 वर्ष से अधिक न हो।	03. स्नातकोत्तर (Post greaduate) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो। 04. भारत के बाहर विदेशी विश्वविद्यालय (संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्था) में पी.एचडी पाठयक्रम में छः विषयो (राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, मानव शास्त्र) में प्रवेशित हो। 05. आवेदक की आयु विज्ञापन जारी करने की तिथि को 35 वर्ष से अधिक न हो।
परिवार में पात्र	एक परिवार (माता–पिता/संरक्षक) के अधिकतम 2 संतान योजना में आवेदन कर सकते है।	–
फैलोशिप/ छात्रवृति राशि	(कुल– 5.40 लाख) 15000/– प्रति माह (अधिकतम तीन वर्ष या पी.एचडी पाठयक्रम समाप्ति जो भी पहले हो)	(कुल– 25 लाख रूपए) प्रथम वर्ष– 10 लाख रूपये। द्वितीय वर्ष– 10 लाख रूपये। तृतीय वर्ष– 5 लाख रूपये।
कुल लाभार्थी	6 शोधार्थी प्रति वर्ष	5 शोधार्थी प्रति वर्ष
आवेदन की तिथि	प्रारम्भः 10.01.2026 से अंतिम तिथिः 09.02.2026 तक	प्रारम्भः 10.01.2026 से अंतिम तिथिः 09.02.2026 तक
आवेदन पत्र/ विस्तृत जानकरी	विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की निम्न वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है। www.ambedkarfoundationjaipur.in	विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की निम्न वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है। www.ambedkarfoundationjaipur.in
ई–मेल	ambedkarfoundation@rajasthan.gov.in secretaryapj@gmail.com	ambedkarfoundation@rajasthan.gov.in secretaryapj@gmail.com
सम्पर्क सुत्र	सुश्री संतरा मीणा (वरि. सहायक) 8209418596	सुश्री संतरा मीणा (वरि. सहायक) 8209418596

उक्त दोनो योजनाओं में वर्ष 2025 में कम आवेदन–पत्र प्राप्त होने के कारण पुनः आवेदन –पत्र प्राप्त करने के लिए एक माह की अवधि (दिनांक 10.01.2026 से 09.02.2026 तक) के लिए पुनः विज्ञापन जारी किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दोनो योजनाओं के विज्ञापन को आपके विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे जिससे ज्यादा से ज्यादा शोधार्थी उक्त दोनों योजनाओं का लाभ ले सकें।

सादर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सचिव
डॉ. बी. आर अम्बेडकर फाउण्डेशन
(अम्बेडकर पीठ), मुण्डला, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Suman Meena
Designation: Secretary
Date: 2026.01.13 1?:26:56 IST
Reason: Approved

F:\Dell file\Dell\Financial Year 2025-26\Ambedkar Fellowship\Fellowship Advertisement 2025-26 for Open Online Form\University letter.docx

RajKaj Ref No.: 19903057

eSign 1.0

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांक एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/ 7405 दिनांक 28/3/17

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए शोध हेतु अम्बेडकर अर्न्तराष्ट्रीय छात्रवृति योजना

1. **प्रस्तावना:–** माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों से पी.एच.डी. स्तर पर अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से **अम्बेड़कर अर्न्तराष्ट्रीय छात्रवृति योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में मानविकी एवं समाजविज्ञान के क्षेत्र में 5 शोधकर्ताओं को प्रति छात्र रूपये 25.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।**

2. उक्त घोषणा की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

(1) **योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता।**

(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

(ii) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हों।

(iii) भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन (Accreditation) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान)से निम्नांकित विषयों के पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:–

(a) समाजशास्त्र
(b) लोक प्रशासन
(c) विधि
(d) अर्थशास्त्र
(e) राजनीति शास्त्र
(f) मानव शास्त्र

(2) **आयु सीमा:–**अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।

(3) **आय सीमा:–** अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्त्रोतों से अर्जित आय 6.00 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो।

(4) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(5) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

(6)**वित्तीय सहायता:–** अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पी.एच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी:–

(i) प्रथम वर्ष – 10.00 लाख
(ii) द्वितीय वर्ष – 10.00 लाख
(iii) तृतीय वर्ष – 5.00 लाख

Scanned with OKEN Scanner

(7) आवेदन की प्रक्रिया— योजनान्तर्गत संबंधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा—

(अ) राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पी.एच.डी. हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम /विषय आदि दस्तावेज संलग्न करने होगे।

(स) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ, जयपुर को भिजवाना होगा (ई–मेल आई. डी. secretaryapj@gmail.com)।

(य) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(8) आवेदन पत्र छानबीन (scrutiny) समिति— योजनान्तर्गत छात्रवृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगी—

(1) अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), SJED – अध्यक्ष
(2) सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जयपुर – सदस्य
(3) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य
(4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर – सदस्य
(5) उप निदेशक (राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य सचिव
(6) सहायक निदेशक (शिक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – सदस्य

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, छानबीन कर पूर्ण (Complete) आवेदन पत्रों का विवरण आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

(9) राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति:— आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृति योजनान्तर्गत अधिकतम 5 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन होगा :—

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर – अध्यक्ष
(2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर – सदस्य
(3) महानिदेशक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर – सदस्य
(4) विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर – सदस्य
(5) निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर – सदस्य सचिव
(6) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रोफेसर (जो कि योजना में वर्णित पाठ्यक्रम मानविकी अथवा समाज विज्ञान का विशेषज्ञ हो) – सदस्य

(10) योजनान्तर्गत छात्रवृति के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया :—

(अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षो के लिए छात्रवृति प्रदान की जावेगी।

(ब) चयनित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान जिससे विद्यार्थी पी.एच.डी. कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(स) पी.एच.डी. हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृति हेतु निर्धारित राशि की स्वीकृति निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की जाएगी। आहरित राशि चैक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय–समय पर Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

(य) छात्रवृति के रूप में प्राप्त राशि का यदि विद्यार्थी द्वारा दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10% ब्याज सहित वसूलनीय होगी। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/– रूपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(र) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/ 7406-24 दिनांक 28/3/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सचिव राईस, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
15. उप निदेशक राईस।
16. सहायक निदेशक (प्रचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित को अविलम्ब ई–मेल कराने हेतु।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन,सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांकः एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/ 7426 दिनांक 28/3/17

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर फैलोशिप योजना

1. प्रस्तावनाः– माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को Ph.D स्तर पर अध्ययन हेतु अनुसन्धान के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से "अम्बेड़कर फैलोशिप योजना" प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 6 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह फैलोशिप (i) समाजशास्त्र (ii) लोक प्रशासन (iii) विधि (iv) अर्थशास्त्र (v) राजनीति शास्त्र एवं (vi) मानवशास्त्र विषय में प्रदान की जाएगी।
2. उक्त घोषणा की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:–

(1) **योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता**
(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हों।
(iii) विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित निम्नांकित विषयों के Ph.D पाठ्यक्रम में प्रवेशित होः–
(a) समाजशास्त्र
(b) लोक प्रशासन
(c) विधि
(d) अर्थशास्त्र
(e) राजनीति शास्त्र
(f) मानव शास्त्र
(iv) चयन प्रक्रिया में केन्द्रीय या राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
(v) अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
(vi) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
(2) **आय सीमा** :– अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्त्रोतों से अर्जित आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो।

(3) **आवेदन हेतु एक परिवार में अधिकतम संख्याः**– एक परिवार (माता–पिता/संरक्षक) के अधिकतम दो बच्चे योजनान्तर्गत आवेदन कर सकते है।

Scanned with OKEN Scanner

(4) **आवेदन की प्रक्रिया**:— योजनान्तर्गत संबधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:—

(अ) राज्य सरकार द्वारा फैलोशिप हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/— रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(स) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं Ph.D हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषय आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(द) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

(य) फैलोशिप हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ, जयपुर को भिजवाना होगा (ई—मेल आई. डी. secretaryapj@gmail.com)।

(5) **आवेदन पत्र छानबीन (scrutiny) समिति**:— योजनान्तर्गत फैलोशिप हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगी:—

(1) अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), SJED — अध्यक्ष
(2) सचिव, अम्बेड़कर पीठ, मूण्डला, जयपुर — सदस्य
(3) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सदस्य
(4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
(5) उप निदेशक (राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य सचिव
(6) सहायक निदेशक (शिक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग — सदस्य

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, छानबीन कर पूर्ण (Complete) आवेदन पत्रों का विवरण आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

(6) **राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति**:— आवेदको से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से फैलोशिप योजनान्तर्गत अधिकतम 6 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन होगा :—

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर — अध्यक्ष
(2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
(3) महानिदेशक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर — सदस्य
(4) विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर — सदस्य
(5) निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, ज़यपुर— सदस्य सचिव
(6) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रोफेसर (जो कि योजना में वर्णित छः (6) विषयों में से किसी एक से संबंधित हो) — सदस्य

D:\RREIS 2015\Amb peeth Mundla\SC Fellow ship direction 28.03.2017.docx

Scanned with OKEN Scanner

(7) योजनान्तर्गत फैलोशिप के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया :–

(अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षो के लिए फैलोशिप प्रदान की जावेगी, जिसके तहत प्रतिमाह 15000 रूपये की राशि देय होगी।

(ब) चयनित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थान जिसमें वह Ph.D कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(स) Ph.D हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(य) फैलोशिप हेतु निर्धारित राशि की स्वीकृति निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की जाएगी। आहरित राशि का भुगतान चैक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय–समय पर Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी।

(र) फैलोशिप के रूप में प्राप्त राशि का यदि विद्यार्थी द्वारा दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10% ब्याज सहित वसूलनीय होगी। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ल) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

D:\RREIS 2015\Amb peeth Mundla\SC Fellow ship direction 28.03.2017.docx

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांकः एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/7426-44 दिनांक 28/3/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उंच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सचिव राईस, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
15. उप निदेशक राईस।
16. सहायक निदेशक (प्रचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित को अविलम्ब ई-मेल कराने हेतु।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Dr. B R Ambedkar Foundation Jaipur

Dr. B.R. Ambedkar Foundation

(Social Justice and Empowerment Deptt. Govt.of Raj.)

Vill. Mundala, Teh. Jamwaramgarh, Jaipur

DETAILED APPLICATION FORM FOR
DR. B.R. AMBEDKAR FELLOWSHIP FOR SC CANDIDATE
(2025-2026)

Passport Size

Photo

1	**Candidate's Status**		
	1.1	Candidate's Home State	
	1.2	Select the Caste Category	
	1.3	Are you Physically Handicapped?	
2	**Personal Information**		
	2.1	Candidate's Name	
	2.2	Gender	
	2.3	Date of Birth	
	2.4	Nationality	
	2.5	Father's Name	
	2.6	Mother's Name	
3	**Contact Information**		
	3.1	Present Address	
	3.2	City/Town	
	3.3	Pin Code	
	3.4	State	
	3.5	E-Mail address	
	3.6	Contact Number	
4	**Post-Graduate Qualifications**		
	4.1	Examination Name	
	4.2	Year of Passing	
	4.3	College/university	
	4.4	Subject Taken	

Scanned with OKEN Scanner

	4.5	Division	
	4.6	Percentage	
5	**Institute Details**		
	5.1	Research Topic Status	
	5.2	Research Work Leading to Award of a Degree	
	5.3	Select Institute	
	5.4	Department/School	
6	**Research Topic (Provide details of research topics proposed to be taker)**		
	6.1	Stream	
	6.2	Subject of Research	
	6.3	Title on research	
	6.4	Abstract (Attached details in separate paper)	
7	**Supervisor Details**		
	7.1	Supervisor's Name	
	7.2	Supervisor's Designation	
	7.3	Supervisor's Department	
	7.4	Supervisor's E-Mail	
8	**Scholarship Details**		
	8.1	Are you availing any scholarship/Fellowship at Present?	
	8.2	Source of Scholarship/Fellowship	
	8.3	Topic of the Research	
	8.4	Whether the work has been completed/on going	
	8.5	Date of commencement and completion of Scholarship	
9	**Employment Details ("Yes" if you are employed, "No" if you are not)**		
10	**Any other information relevant to the research work, which you may like to give in support of your application**		

(Signature of Applicant)

Scanned with OKEN Scanner

Dr. B. R. Ambedkar Foundation, Jaipur

Dr. B.R. Ambedkar Foundation

(Social Justice and Empowerment Deptt. Govt.of Raj.)

Vill. Mundala, Teh. Jamwaramgarh, Jaipur

DETAILED APPLICATION FORM FOR
DR. B.R. AMBEDKAR INTERNATIONAL SCHOLARSHIP
FOR SC CANDIDATE
(2025-2026)

Passport Size Photo

1	**Candidate's Status**		
	1.1	Candidate's Home State	
	1.2	Select the Caste Category	
	1.3	Are you Physically Handicapped?	
2	**Personal Information**		
	2.1	Candidate's Name	
	2.2	Gender	
	2.3	Date of Birth	
	2.4	Nationality	
	2.5	Father's Name	
	2.6	Mother's Name	
3	**Contact Information**		
	3.1	Present Address	
	3.2	City/Town	
	3.3	Pin Code	
	3.4	State	
	3.5	E-Mail address	
	3.6	Contact Number	
4	**Post-Graduate Qualifications**		
	4.1	Examination Name	
	4.2	Year of Passing	
	4.3	College/university	
	4.4	Subject Taken	

Scanned with OKEN Scanner

	4.5	Division	
	4.6	Percentage	
5	**Institute Details**		
	5.1	Research Topic Status	
	5.2	Research Work Leading to Award of a Degree	
	5.3	Select Institute	
	5.4	Department/School	
6	**Research Topic (Provide details of research topics proposed to be taker)**		
	6.1	Stream	
	6.2	Subject of Research	
	6.3	Title on research	
	6.4	Abstract (Attached details in separate paper)	
7	**Supervisor Details**		
	7.1	Supervisor's Name	
	7.2	Supervisor's Designation	
	7.3	Supervisor's Department	
	7.4	Supervisor's E-Mail	
8	**Scholarship Details**		
	8.1	Are you availing any scholarship/Fellowship at Present?	
	8.2	Source of Scholarship/Fellowship	
	8.3	Topic of the Research	
	8.4	Whether the work has been completed/on going	
	8.5	Date of commencement and completion of Scholarship	
9	**Employment Details ("Yes" if you are employed, "No" if you are not)**		
10	**Any other information relevant to the research work, which you may like to give in support of your application**		

(Signature of Applicant)

Scanned with OKEN Scanner